भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(129)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियार म0प्र0 कैम्प उज्जैन म0प्र0

निगरानी /07-08

R-695-II/08

17-6-08

राजूभाई पिता अजमेरीलाल

निवासी डोंगरगांव तहसील सुसनेर जिला शाजापुर म0प्र0

--- निगरानीकर्ता/प्रार्थी

विरूद्ध

जि. शाजापुर

1- अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर नलखेड़ा/म0प्र0

2- भावनादेवी पति विष्णुप्रसाद

निवासी ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर जिला शाजापुर म0प्र0 --- प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 की धारा 50 अन्तर्गत निगरानी आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

1- प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकार सुसनेर नलखेड़ा द्वारा प्र0क्र0 13 ए-6 (ए) 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2004 के पुर्नविलोकन हेतु आवेदन दिया गया। जो अपील क्रमांक 38-ए/05-06 में पारित आदेश दिनांक 26-5-2008 से निरस्त किया गया। इस आदेश से पीड़ित होकर इसके विरूद्ध निम्नानुसार निगरानी आवेदन समयावधि अन्तर्गत प्रस्तुत है। (संलग्न। आदेश दिनांक 26-5-2008 की प्रमाणित प्रति)

2- यहकि म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 (जिसे आगे संहिता लिखा गया है) की धारा 41 अन्तर्गत निर्मित नियम। (1) अन्तर्गत टीप अनुसार माननीय राजस्व मण्डल को सीधे निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। शीघ्र न्याय मिलनेके विश्वास के साथ माननीय के समक्ष निगरानी आवेदन प्रस्तुत है। इसे सुनवाई हेतु स्वीकार करने की कृपा करें।

निगरानी के आधार

3- यह कि विपक्षी क्रमांक 2 भावना देवी की भूमि सर्वे नंबर 940 (पुरानी) का रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा होकर वर्ष 1996-97 में बंदोबस्त के पश्चात उसे नया नंबर स0नं0 1353 रकबा 0-300 हेक्टर दिया ग

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-695-दो/08 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	